न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

पीठासीन अधिकारी :— श्री विजेन्द्रसिंह R.A.S.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
24/2025	111, 128 LRA	08.05.2025	06.06.2025

1.हारून पुत्र श्री खैरदीन जाति तेली मुसलमान उम्र 47 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 17, चूरू तहसील व जिला चूरू
2.इमरान अली पुत्र इमामुदीन जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 11, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
3.जमालुदीन पुत्र इमामुदीन जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 11, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
4.मुस्लिम मण्डावरिया पुत्र साबीर जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 11, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
5.मोहम्मद जमील पुत्र इमामुदीन जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 11, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
6.शहनाज पुत्री इमामुदीन जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 11, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज
7.सत्तार पुत्र यासीन जाति तेली निवासी उस्मानाबाद कॉलोनी, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
8.सिमरन पुत्री इमामुदीन जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 11, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)

—प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज

—अप्रार्थी

2.सैयद पुत्र इमामुदीन जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 11, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
3.बिलाल सलीम मण्डावरिया पुत्र सलीम मण्डावरिया जाति तेली निवासी वार्ड नं 11 चूरू तहसील वा जिला चूरू
4.सिकन्दर खान पुत्र मोती खान जाति कायमखानी निवासी चूरू
5.हारून मण्डावरिया पुत्र साबीर जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 11, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
6.गनी मोहम्मद पुत्र रमजान जाति तेली निवासी वार्ड संख्या 11, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)

—गौण अप्रार्थीगण

उपस्थित:— 1. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह प्रार्थी
2 पैरोकार राज अप्रार्थी संख्या 01
3 अधिवक्ता श्री विकास औझा अप्रार्थी संख्या 02 से 06

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1. यह कि कृषि भूमि खसरा संख्या 2398/266 रकबा 02.4029 हैक्टर कृषि भूमि रोही चूरू मे स्थित चली आ रही है जो प्रार्थीगण वा गौण अप्रार्थीगण सं 2 ता 6 के खातेदारी वा कब्जा का त की कृषि भूमि है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र हाजा के साथ सलग्न है।
2. यह कि मौके पर प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि निकट के खसरो के बाबत तहसीलदार चूरू कि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.04.2025 बिना प्रार्थी[illegible]उपस्थिती वा सुनवाई के बिना बनाई गई है जिससे मौके पर प्रार्थीगण की खाते[illegible]परिवर्तन हो गये है वा उक्त फर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मौका रिपोर्ट बिना सैटमेन्ट अधिकारीयो की उपस्थिती वा जानकारी से वा बिना पटवार हल्का वा गिरदावार हल्का द्वारा मौके पर बिना जरीब चलाये कायम किये गए है जिससे इस गलत वा भ्रान्य कार्यवाही से मौके पर प्रार्थीगण के सीमा चिन्ह नष्ट वा खराब कर दिये गए है वा मौके पर भूमि को लेकर तनाव हेा गया है वा मौके पर विवाद होने होने की सम्भावना हो जाती है इसलिए प्राथी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि न्यायालय से राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर राजस्व कानून वा नियमो के मुताबिक पुख्ता सीमाज्ञान वा पत्थरगढी कर सीमांकन स्पष्ट करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी के साथ किसी से भी विवाद न हो एवं प्रार्थी शान्तिपूर्वक अपने खेत को काश्त कर सके।

3. यह कि प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान प्रा. पत्र माननीय तहसीलदार महोदय चूरू को पेश किया जिसकी पालना मे पटवार हल्का द्वारा मौके पर जाकर उक्त भूमि का नाप वा सीमा सीमाज्ञान किया गया जिसमे उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रकबे से कम भूमि मौके पर पायी गयी वा सींव वा सीमा चिन्ह विधिक माप से नही है। जिस कारण से भविष्य मे पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाने वा सीमा संबधी विवाद से पक्षकार अपनी खातेदारी भूमि को सुरक्षित करने के लिए श्रीमानजी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. यह कि प्रार्थीगण वा गौण अप्रार्थीगण सं 2 ता 6 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2398/266 रकबा 02.4029 हैक्टर कृषि भूमि रोही चूरू मे स्थित चली आ रही है उक्त कृषि भूमि के निकटतम खसरो के संबंध मे फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.04.2025 तैयार की गई जिसमे पटवार हल्का वा अन्य पटवार मण्डल हल्का वा गिरदावर हल्का ने बिना विधिवत प्रकिया अपनाये बिना साक्ष्य सूचना वा सूनवाई के बिना मौके पर जरीब चलाये बिना मौके पर निर्धारित बिन्दू कायम किये वा बिना भू प्रबंध विभाग सीकर के कर्मचारियो वा अधिकारीयो की उपस्थिती मे ही बिना नाप जोख किये, राजस्व प्रावधानो के विपरीत जाकर वा भू राजस्व कानून वा नियमो की अनदेखी करते हुए प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि के सीमा चिन्ह वा सींव नष्ट करने का प्रयास किया है जिससे प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारो का उपयोग उपभोग करने से महरूम हेा गया है वा इस प्रकिया मे प्रार्थीगण की भूमि मौके पर कम हो गई है । जबकि राजस्व नियमों के मुताबिक प्रार्थीगण / खातेदारा को अपने खातेदारी मे दर्ज भूमि का उपयोग उपभोग करने के हर प्रकार से हकदार राजस्थान का तकारी अधिनियम द्वारा प्रदान किये गए है इसलिए प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के जरिये अपनी खातेदारी की कृषि भूमि शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने के लिए नियमानुसार पत्थरगढी वा पुख्ता सीमाज्ञान करवाना चाहता है। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र अदालतवाला के समक्ष अदालतवाला मे प्रस्तुत किया गया है।

5. यह कि राजस्व नियमो वा राजस्व कानूनो के मुताबिक भू प्रबंध की प्रकिया जैसे सीमा ज्ञान वा पत्थरगढी आदि की प्रकिया करने का श्रवणाधिकार वा क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त होता है परन्तु अदालतवाला द्वारा फर्द मौका दिनांक 19.04.2025 का अवलोकन वा निरीक्षण करने के स्पष्ट ज्ञात होता है कि उपरोक्त प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा अपने अधिकारीता का प्रयोग ही नही किया गया है ना ही तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर पत्थरगढी करवायी गई है ना ही तहसीलदार वा नायब तहसीलदार मौके पर गये है ना ही पटवारगण द्वारा मौके पर [illegible] करवायी गई है । अदालतवाला द्वारा निर्णय के प. चात तहसीलदार के अधिकारीता [illegible] अपनी टीम के साथ मौके पर जाकर भूमि की नियमानुसार [illegible] की जाती है परन्तु फर्द मौका दिनांक 19.4.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

2025 की आड मे राजस्व प्रकिया को ताक मे रखकर प्रार्थीगण की भूमि के सीमा चिन्ह नष्ट कर दिये है जिससे प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हेा गया है कि नियमानुसार तहसीलदार चूरू के मार्गद न वा नेतृत्व मे भु प्रबंध विभाग बीकानेर की अनुभवी टीम की उपस्थिती मे नियमानुसार प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि का पैमायश करवायी जाकर सीमाज्ञान वा पत्थरगढी करवायी जावें जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अदालतवाला मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

6. यह कि अदालतवाला द्वारा प्रार्थना पत्र सं 45/2022 वा 46/2022 अनवानी कमलादेवी आदि बनाम सरकार वा रामुराम आदि बनाम सरकार अपने निर्णय दिनांक 5.7.2022 मे उपरोक्त कृषि भूमियो की पत्थरगढी करने का निर्णय जेर आदेश तहसीलदार चूरू को आदश पारित किया है जबकि उक्त निर्णय की पालना में फर्द मौका दिनांक 19.4.2025 से भली प्रकार से साबित है कि तहसीलदार चूरू द्वारा उक्त निर्णय की पालना मे कोई कार्यवाही ही नही की गई है सम्पूर्ण कार्यवाही भू प्रबंध विभाग की काल्पनिक निशानदेही वा दिनांक 19.4.2025 को उनकी उपस्थिती के बिना की की गई है जबकि आदेश दिनांक 5.7.2022 की पालना मे पटवारी हल्का वा गिरदावर हल्का द्वारा मौके पर कोई जरीब नही चलायी गई है काल्पनिक कार्यवाही करते हुए प्रार्थीगण खेत के सीमा चिन्ह नषट करने की कार्यवाही की गई है जिससे प्रार्थीगण के लिए आव यक हेा गया है कि अपनी सीमा चिन्ह को सुरक्षित बनाये रखने वा भविष्य मे सीमा विवाद के निस्तारण के लिए जरिये अदातलवाला अपने खातेदारी की कृषि भूमि का पुख्ता सीमा ज्ञान वा पत्थरगढी अदालवाला के जरिये करवाया जावें इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अदालतवाला मे प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि प्रार्थीगण वा गौण अप्रार्थीगण सं 2 ता 6 अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि को जो राजस्व अभिलेख मे दर्ज है अनुसार मौके पर पत्थरगढी करवाकर शान्तिपूर्वक काश्त करना चाहते है। उक्त पत्थरगढी वा सीमा ज्ञान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार के मार्फत अनुभवी राजस्व कर्मचारियो वा गिरदावार हल्का की उपस्थिती मे नियमानुसार करवाना चाहते है ताकि भविष्य में नीव सीव को लेकर प्रार्थी का भी किसी के साथ विवाद ना हो।

8. यह कि प्रार्थीगण वा गौण अप्रार्थीगण सं 2 ता 6 के खातेदारी की कृषि भूमियो के मध्य गलत फर्द मौका की आड मे सीमा चिन्ह को लेकर काफी समय से सीमा संबंधित वाद–विवाद बना रहता है जिससे पक्षकारो के मध्य लगातार मनमुटाव बना रहता है वा सीमा सीमा विवाद होने से हर समय दुसरे पक्षकार द्वारा सीमा को काटकर अपनी सीमा के मिला लेने की आ ाका बनी रहती है जिससे प्रार्थीगण को लगता है कि भविष्य में सीमा संबंधित वाद–विवाद हो सकते है। इसलिए आवश्यक हो गया कि प्रार्थीगण के खेत का पुख्ता सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी पुख्ता पुलिस इमदाद वा पुलिस जाब्ता की उपस्थिती मे करवाई जाये जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो सके। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

9. यह कि अप्रार्थी सं 1 भू धारक है वा प्रार्थीगण के खेत के संबंध मे भविषय मे सीमा को लेकर कोई विवाद ना रहे इसलिए अप्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया गया है।

10. यह कि पत्थरगढी व निशान देही मे लगने वा[illegible] प्रार्थीगण वहन करने को तैयार है तथा अदालतवाला को इस प्रार्थना पत्र के [illegible]ढी तहसीलदार साहब चूरू के माध्यम से अनुभवी पटवारी व गिरदा[illegible]कर करवाई जानी आव यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

11. यह कि पत्थरगढी की टीम गठित किया जाना वा पत्थरगढी करवायी जानी तहसीलदार के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थी सं 1 बनाया गया है।
12. यह कि कृषि भूमि श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार के स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।
13. यह कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।

प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री विकास औझा ने वकालत नामा व इकबाल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार राज की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 से 06 की ओर से जवाब में प्रार्थना पत्र के मद संख्या 01 से 14 को स्वीकार करते हुए पत्थरगढी किये जाने बाबत् सहमति जाहिर की। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुए राज्य हित प्रभावित नहीं होने का अंकन जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

अप्रार्थी अधिवक्ताओं का जवाब प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया।

रिपोर्ट पटवारी कस्बा चूरू दिनांक 08.05.2025 के अनुसार मौके पर उक्त खसरे का रकबा रिकॉर्ड से कम पाया गया।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कृषि भूमि खसरा संख्या 2398/266 रकबा 2.4029 हैक्टेयर (राजस्व ग्राम रोही, चूरू) पर सीमा निर्धारण (सीमाज्ञान) एवं पत्थरगढी करवाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थीगण का यह स्पष्ट कथन है कि दिनांक 19.04.2025 को तहसीलदार कार्यालय चूरू की ओर से जारी फर्द मौका रिपोर्ट बिना विधिसम्मत प्रक्रिया, बिना उनकी उपस्थिति, बिना सुनवाई एवं बिना सीमांकन (जरीब) के जारी की गई है, जिससे उनकी खातेदारी भूमि के सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया गया है। इस कारण से मौके पर सीमा विवाद की संभावना बनी हुई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में यह दर्शाया गया है कि पूर्व में प्रकरण संख्या 45/2022 व 46/2022 में भी इस न्यायालय द्वारा पत्थरगढी का आदेश पारित किया गया था, प्रार्थीगण द्वारा यह भी आग्रह किया गया है कि पत्थरगढी की कार्यवाही अनुभवी राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में एवं पुलिस सहायता सहित करवाई जाए ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। अप्रार्थी संख्या 02 से 06 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्य स्वीकार करते हुए पत्थरगढी करवाने की सहमति दी गई है। अप्रार्थी संख्या 01 (राज्य सरकार) ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा है कि इससे राज्यहित प्रभावित नहीं होता। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 08.05.2025 के अनुसार मौके पर उक्त खसरा संख्या में रिकॉर्ड के मुकाबले भूमि कम पाई गई है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मौके पर सही सीमांकन नहीं हुआ है और भूमि सीमा चिन्ह स्पष्ट नहीं हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 के अंतर्गत खातेदार की भूमि का सीमाज्ञान एवं सीमांकन करवाना उसका वैधानिक अधिकार है, जिससे वह भूमि का सुरक्षित एवं विवाद रहित

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested

44

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)

उपयोग कर सके। जब राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि दर्ज है, और मौके पर उसका सीमांकन स्पष्ट नहीं है, तो प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने का अधिकारी है। वर्तमान प्रकरण में न केवल प्रार्थीगण, बल्कि सह–खातेदार (गौण अप्रार्थी संख्या 2 से 6) भी पत्थरगढी के पक्ष में हैं। अतः विवाद का शांतिपूर्ण समाधान केवल नियमानुसार सीमाज्ञान और पत्थरगढी द्वारा ही संभव है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111,128 में यह प्रावधान है कि जब खातेदार के खेत की सीमा विवादित हो या सीमा स्पष्ट न हो तो सीमांकन करवाने का अधिकार उसे प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में वादकर्ता की भूमि एवं सीमावर्ती भूमि के मध्य सीमा स्पष्ट नहीं है, जिससे समय–समय पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि वादकर्ता की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाई जाए। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से किसी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

संपूर्ण पत्रावली, दस्तावेज, बहस एवं राजस्व अभिलेखों के अवलोकन उपरांत यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 2398 / 266 रकबा 02.4029 हैक्टर कृषि भूमि रोही चूरू (राज.) की अप्रार्थी सं 1 तहसीलदार महोदय चूरू से राजस्व विभाग की टीम मय अनुभवी पटवारी वा गिरदावार हल्का की टीम गठित करवाई जाकर भु प्रबंध विभाग बीकानेर की टीम के निर्देशन वा उपस्थिती में पैमायश कर निशानदेही ली जाकर वा उचित पुलिस जाब्ता वा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में राजस्थान भू राजस्व कानून वा नियमों के मुताबिक नपती करवाई जाकर इस खेत मे पुख्ता पत्थरगढी व सीमांकन करवाया जावे। इस हेतु राजस्व की एक टीम गठित की जाए, जिसमें संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार / नायब तहसीलदार सम्मिलित हों, जो मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में नियमानुसार सीमांकन एवं पत्थरगढी करें। कार्यवाही से पूर्व सभी संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना दी जाए ताकि वे सीमांकन के समय उपस्थित रह सकें। सीमांकन एवं पत्थरगढी की समस्त कार्यवाही का विवरणात्मक पंचनामा एवं मानचित्र सहित रिपोर्ट तैयार करें। सीमांकन एवं पत्थरगढी में होने वाला समस्त व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे। अप्रार्थी संख्या 1 (तहसीलदार) को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाते हैं कि वे निर्धारित समयावधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(विजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:37 IST
Reason: SelfAttested